केन्द्रीय भंडारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

जनजन के लिए भंडारण-

स:- केभनि/एमआईएस-डब्ल्यूएमएस (रोलआउट)/2017-18/ दिनांक: 30.07.2020

परिपत्र

विषय:- उपयोगकर्ता स्वीकृति टेस्टिंग के दौरान या सॉफ्टवेअर को शुरू करने के बाद सॉफ्टवेअर में परिवर्तन किए जाने पर जिम्मेदारी का निर्धारण।

1. निगम ने अपने विकास, परिचालन दक्षता, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मकता, दृश्यता और जवाबदेही आदि के लिए आईटी का लाभ उठाने के प्रयास में विभिन्न आईटी प्रोजेक्ट अर्थात् डब्ल्यूएमएस, ई-ऑफिस, सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम, एचआरएमएस, टैली ईआरपी, वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू की हैं। इन परियोजनाओं में सभी परिचालन इकाइयों को जोड़ने पर बल दिया गया है ताकि निगमित कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर शीघ्रता से निर्णय लिया जा सके।

2. आईटी प्रोजेक्ट को लागू करने और एकीकृत करने के लिए प्रोजेक्ट के सभी कार्यों के लिए तीव्र योजना और गहन विश्लेषण की आवश्यकता होती है। जैसा कि समझा जा सकता है कि टैंडरिंग प्रोसेस के समय कार्य के विस्तृत दायरे को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। तत्पश्चात् सिस्टम आवश्यकताएँ विशिष्टता (एसआरएस) के अनुमोदन के समय पहले से सावधानीपूर्वक जांच अपेक्षित है और गो लाइव के बाद सॉफ्टवेअर में बारंबार बदलाव से बचने के लिए सभी संभावित परिदृश्यों और अपवादों को स्पष्ट रूप से सामने लाया जाना चाहिए। सॉफ्टवेअर के शुरू होने के बाद के बदलाव से न केवल चल रहे सॉफ्टवेअर में अस्थिरता आती है, अपितु निगम का समय और लागत भी अधिक लगती है। हालाँकि, यदि कोई नया परिचालन बाद में आता है, **तो पूरी तरह से नए व्यवसाय संचालन या किसी भी वैधानिक आवश्यकताओं के कारण,** इसे परिवर्तन के अनुरोध के रूप में लागू किया जा सकता है।

3. परिवर्तन अनुरोध से वित्तीय स्थितियां पैदा होती हैं क्योंकि प्रोजेक्ट के काम के मूल क्षेत्र में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। इस प्रकार यह एक अतिरिक्त प्रयास है। फिर भी, यदि निगम के प्रचालन और व्यवसाय के लिए ये महत्वपूर्ण है, तो इसे सभी संभावित परिदृश्यों और अपवादों सहित कार्य के विस्तृत क्षेत्र को परिभाषित करके लागू किया जा सकता है।

4. हाल ही में, यह देखा गया है कि निगमित कार्यालय के स्टैक होल्डिंग विभाग और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा यूज़र्स एक्सेपटेंस टेस्टिंग **(यूएटी) के दौरान या सॉफ्टवेअर शुरू होने के बाद सॉफ्टवेअर में बदलाव करने के लिए कहा गया है,** इसमें वित्तीय स्थितियां पैदा होती हैं और कार्यान्वयन में देरी होती है।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि एसआरएस के अनुसार यूएटी के दौरान या सॉफ्टवेअर के शुरू होने के बाद किसी भी सॉफ्टवेयर में किए जाने वाले नए परिवर्तन/आवश्यकताएं एक वित्तीय स्थिति उत्पन्न करती है, क्योंकि मूल एसआरएस के आधार पर सॉफ्टवेअर को डिजाइन किया गया था और उसमें इसे स्पष्ट रूप से कवर नहीं किया गया था इसलिए यह एक अतिरिक्त कार्य है। इससे लागत और कार्यान्वयन में देरी के अलावा, इस पर संबंधित अधिकारियों का समय भी लगता है। यदि प्रारंभिक चरण में ही बदलाव कर दिए जाते तो इससे बचा जा सकता था।

6. इस प्रकार, भविष्य में आईटी परियोजना/सॉफ्टवेअर के लिए, यूएटी के दौरान या गो-लाइव के बाद सॉफ्टवेअर में किसी भी परिवर्तन के अनुरोध के लिए, पूरी तरह से नई व्यावसायिक प्रक्रिया के कारण या किसी भी वैधानिक आवश्यकताओं के छोड़कर, जिम्मेदारी उन अधिकारियों पर निर्धारित की जाएगी जिन्होंने एसआरएस को मंजूरी दी है।

7. एसआरएस को 2 (दो) स्तरों पर अनुमोदित किया जाना चाहिए। निगमित कार्यालय के मामले में, संबंधित कार्य विभागों के कार्मिकों और विभागाध्यक्ष तथा क्षेत्रीय कार्यालय के मामले में क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबंधक और संबंधित व्यापार प्रमुख द्वारा एसआरएस को अनुमोदित किया जाना चाहिए। वेअरहाउस/आईसीडी/सीएफएस/डीपीई/एसीसी/आईसीपी आदि में लगाए जाने वाले सॉफ्टवेअर के लिए संबंधित वेअरहाउस प्रबंधक और क्षेत्रीय कार्यालय के संबंधित व्यापार प्रमुख द्वारा एसआरएस को अनुमोदित किया जाना चाहिए।

8. इसके अतिरिक्त, भावी आईटी प्रोजेक्ट/सॉफ्टवेअर के लिए, एसआरएस में परिवर्तन अनुमोदन के साथ विक्रेता को 15 (पंद्रह) कार्य दिवसों की अवधि के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। यदि निर्धारित समय के भीतर कोई सुझाव प्राप्त नहीं होता है, तो एसआरएस को स्वीकृत माना जाएगा और क्रम संख्या 7 के अनुसार जिम्मेदारी तय की जाएगी।

यह सख्ती से अनुपालन हेतु प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से जारी किया गया है।

समूह महाप्रबंधक (प्रणाली)

इस परिपत्र की सामग्री उनके नियंत्रण में कार्यरत कार्मिकों की जानकारी में लाने के अनुरोध के साथ वितरण:

1. सभी विभागाध्यक्ष, केभनि, नि.का., नई दिल्ली.
2. क्षेत्रीय प्रबंधक, केभनि, क्षेत्रीय कार्यालय.

<u>प्रतिलिपि</u>:

1. प्रबंध निदेशक के वरिष्ठ निजी सहायक/निदेशक (वित्त) के वरि. सहायक प्रबंधक/ निदेशक (कार्मिक) की निजी सचिव, केभनि, नि.का., नई दिल्ली।
2. एमआईएस विभाग, केभनि, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली को इस परिपत्र को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।